संख्या-2/4377/24-1-13-14 पी/05

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2014

विषय:- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर वर्ष 2013-14 में ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1019/म0प्र0 (वित्त)/वि0प्र0-2/97/2004, दिनांक 26.12.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 32,50,97,000/- (रूपये बत्तीस करोड पचॉस लाख सत्तानवें हजार मात्र) के सापेक्ष रूपये 7,68,54,756/- (रूपये सात करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार सात सौ छप्पन मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या- 2204/24-1-13-14 पी/05, दिनांक 15.07.2013 द्वारा एवं रूपये 7,71,41,991/- (रूपये सात करोड़ इकहत्तर लाख इकतालिस हजार नौ सौ इक्यानवें मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या-3273/24-1-13-14 पी/05, दिनांक 04.10.2013 द्वारा अर्थात कुल धनराशि रूपये 15,39,96,747/- (रूपये पन्द्रह करोड़ उन्तालिस लाख छियान्वें हजार सात सौ सैतालिस मात्र) निर्गत की गयी है। अब आय-व्ययक में प्राविधानित अवशेष धनराशि रूपये 17,11,00,253/- (रूपये सत्रह करोड़ ग्यारह लाख दो सौ तिरपन मात्र) में से 9,26,59,482/- (रूपये नौ करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार चार सौ बयासी मात्र) को आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के सापेक्ष आहरित धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहॉ से धनराशि आहरित की गयी, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या- 9 के लेखाशीर्षक "2049-ब्याज अदायगियॉ-अयोजनेत्तर-01-आंतरिक ऋण पर ब्याज-200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-03- राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश" भारित के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0-03/दस-2014, दिनांक 06 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या- 4377(1)/24-1-13, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्पलेक्स-7, लोधीरोड नई दिल्ली ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/ वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in